

24-9-2019

पत्रावली पेशा हुई। प्रार्थी रामलाल उपस्थित। वकील
पुष्पकरान उपस्थित। प्रार्थी इस निगरानी प्रार्थना पत्र
को आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रार्थी के वकील
ने इस निगरानी प्रकरण को आगे चलाना प्रार्थी
द्वारा नहीं चाहने के कारण Not Press किया है।
नोट: प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जरिमे
Not Press खातिज किया जाता है। सिविल सुनाया
गया। पत्रावली फैसल सुनार होशव नम्बर से आ हो।

बत. निवा कलकत्ता
सिरोही (पत्र.)

रामलाल/११५
अहमि गयन प्रार्थी का
पत्र प्रार्थी का
चलाक नहीं चाहत
की अह: नोटपेक
किम गलत है
Dinesh Roy
आधु गलत
24/9/15

